



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1942 (श10)

(सं0 पटना 655) पटना, मंगलवार, 29 सितम्बर 2020

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

6 मई 2020

सं० श्रव्य एवं दृश्य-07/2018-462/वि०सं० ।—राज्य विधान मंडल की कार्यप्रणाली को डिजिटल करने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) परियोजना की मंजूरी दी गयी है। इस परियोजना पर व्यय होने वाली कुल राशि में 60% राशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा 40% राशि के व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार मैचिंग शेयर के रूप में राज्य सरकार की ओर से व्यय की जाने वाली राशि का 40% राशि उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभाग, बिहार सरकार की सहमति प्राप्त है। बिहार विधान सभा सचिवालय में इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को नामित किया गया है तथा त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन की कार्रवाई भी पूरी कर ली गयी है।

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश की कंडिका 8.2 के अनुसरण में राज्य स्तरीय स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट सह नेवा कार्यान्वयन समिति (State Project Management Unit-cum-NeVA Implementation Committee) का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1.	सचिव, बिहार विधान सभा	सभापति
2.	अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	सदस्य
3.	सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
4.	सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
5.	राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन. आई. सी., पटना	सदस्य
6.	एन. आई. सी. एस. आई. (NICS), पटना के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	प्रभारी उप सचिव, नेवा-सेल, बिहार विधान सभा, पटना	सदस्य सचिव
8.	सभापति द्वारा नामित सभा सचिवालय के कोई अन्य पदाधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य

उपर्युक्त समिति राज्य स्तर पर नेवा परियोजना की वित्तीय एवं तकनीकी प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ परियोजना दिशा-निर्देश में निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करेगी। क्रमांक-02 से 04 तक में अंकित अपर मुख्य सचिव / विभागीय सचिव अपनी अनुपस्थिति की स्थिति में अपने अधीनस्थ संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को प्राधिकृत कर सकेंगे।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
असीम कुमार,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 655-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>